



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

Case. No. AKG/15/2019/STGUP/ATOTH/RU-I

दिनांक: 09.08.2019

SITTING NOTICE

सेवा में,

1 ज़िला अधिकारी,
ज़िला- बलिया,
(उत्तर प्रदेश)

2 पुलिस अधीक्षक,
ज़िला- बलिया,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: तहसीलदार सिकंदरपुर द्वारा गाली गलौज करने के संबंध में- श्री अरविंद कुमार गॉड, वर्तमान पता- B 13/9 जनता फ्लैट्स, सैक्टर-71, नोएडा का दिनांक 19.06.2019 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: NCST's letter of even No. dated 20.06.2019.

चूकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण/ जांच करने का निर्णय लिया है। (प्रकरण में ज़िला प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है।

2 श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/ जांच / की गई कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **23.08.2019 को 11.30 बजे** सिटिंग निर्धारित की है।

3 तदनुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबन्धित सम्पूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4 कृपया ध्यान रखें यदि बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (8) के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

श्री अरविंद कुमार गौड,
वर्तमान पता- B 13/9 जनता फ्लैट्स,
सेक्टर-71, नोएडा
(उत्तर प्रदेश)
(मो: 8851202063, 9999400508)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Member (HKD), NCST
3. PA to Hon'ble Member (HCV), NCST
4. PS to Hon'ble Member (MCI), NCST
5. Sr. PPS to Secretary, NCST
6. Office of the Joint Secretary, NCST
7. Director, NCST
8. AD (Admin.)/ Please make all necessary arrangements on the day of the sitting.
9. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)